

प्रेस-विज्ञप्तिथाना अतरौलियाअवैध असलहा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 26.11.2023 को 30नि0 रामनिहाल वर्मा मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान शेरवां पुलिया से अभियुक्त ऐनुल उर्फ करिया पुत्र नगीना निवासी पकड़ियापुर मखनहाँ थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को 01 अदद देशी तमन्चा नाजायज .303 बोर प्रतिबन्धित व 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर के साथ समय करीब 07.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 386/23 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- ऐनुल उर्फ करिया पुत्र नगीना निवासी पकड़ियापुर मखनहाँ थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ बरामदगी –

1- 01 अदद देशी तमन्चा नाजायज .303 बोर प्रतिबन्धित व 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 386/23 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़ अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 02/16 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर
2. मु0अ0सं0 200/21 धारा 3/5A/8 उ0प्र0 गौ हत्या निवा0 अधि0 थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 03/22 धारा 3/5A/8 उ0प्र0 गौ हत्या निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना राजेसुल्तानपुर अम्बेडकरनगर
4. मु0अ0सं0 02/16 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना अतरौलिया आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. 30नि0 श्री रामनिहाल वर्मा 2. का0 कमाल अंसारी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्तिसंविधान दिवस पर पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों ने ली शपथ, जनपद के समस्त थाना व शाखाओं में कार्यक्रमों का आयोजन व प्रस्तावना का पाठन कराया गया और मौलिक कर्तव्यों की शपथ दिलाई गई।

आज दिनांक- 26.11.2023 को समय 11.00 बजे अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ संजय कुमार द्वारा पुलिस लाइन्स आजमगढ़ के क्वार्टर गार्ड में उपस्थित समस्त कर्मचारियों को संविधान दिवस के अवसर पर भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठन व मौलिक कर्तव्यों की शपथ दिलायी गई। जनपद के समस्त शाखाओं (एसपी सीटी कार्यालय, एसपी ग्रामिण कार्यालय, एसपी ट्रैफिक कार्यालय, सीओ सीटी कार्यालय, सीओ सदर कार्यालय, सीओ लालगंज कार्यालय, सीओ फूलपुर कार्यालय, सीओ बूढ़नपुर कार्यालय, सीओ सगड़ी कार्यालय, डीसीआरबी, सीसीटीएनएस, लिपिक कार्यालय व अन्य कार्यालयों तथा पुलिस लाइन्स में उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों को संविधान दिवस पर शपथ दिलाई गई। वही जनपद के समस्त थानों के थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना परिसरों में उपस्थित समस्त कर्मचारी गणों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई गई।

भारत का संविधानप्रस्तावना

“हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं।”

थाना बिलरियागंज

हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार; घटना में प्रयुक्त चाकू व लाठी बरामद

पूर्व का विवरण-

दिनांक 24.11.23 को रात्रि में इशरार पुत्र सुकुल्ला निवासी ग्राम पतिला गौसपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ व प्रवीण कुमार पुत्र श्री रामकवल निवासी जलालपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दिया गया कि उनके लड़के को घर के बाहर खेलते समय विपक्षीयण द्वारा मारना तथा वादी व वादी के लड़कों द्वारा मना करने पर विपक्षीयण द्वारा वादी व वादी के लड़कों पर लाठी डंडा व चाकू लेकर हमला कर दिया गया व वादी के लड़के के पेट में चाकू से गम्भीर चोट पहुँचाया गया व बार – बार जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 407/23 धारा 147/148/149/307/323/504/506 IPC बनाम 06 नफर पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 26.11.23 को उ0नि0 शिवकुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. इसराइल पुत्र मुम्ताज नि0 पतिला गौसपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 2. बिजली उर्फ अबदुल्ला पुत्र इसराइल नि0 पतिला गौसपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को तुर्क पड़री मोड़ के पास से समय 11.58 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से क्रमशः घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू व एक अदद लाठी बरामद हुआ है। मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 407/23 धारा 147/148/149/307/323/504/506 भादवि व 4/25 आयुध अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. इसराइल पुत्र मुम्ताज नि0 पतिला गौसपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 65 वर्ष
2. बिजली उर्फ अबदुल्ला पुत्र इसराइल नि0 पतिला गौसपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष

बरामदगी -

- 1- घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू व 01 लाठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 शिवकुमार यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 उमेश यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना मुबारकपुर

छेड़खानी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 13.11.2023 को वादी मुकदमा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरी नाबालिग पुत्री जो अपनी मां के साथ सो रही थी उसको अज्ञात व्यक्ति द्वारा विस्तर पर से उठा ले गया तथा शोर सुनकर बाहर खेत में छोड़ कर भाग गया, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 542/23 धारा-354क,363,323,506 भा0द0वि0 व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 धर्मराज यादव द्वारा सम्पादित की जा रही थी जिसके क्रम मे:-

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 26.11.2023 को उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराही पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त विवेक चौहान पुत्र रामजी चौहान निवासी लाडो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को बलिया कल्यानपुर मोड के पास से समय 11.55 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0 542/23 धारा-354क,363,323,506 भा0द0वि0 व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1-विवेक चौहान पुत्र रामजी चौहान निवासी लाडो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

- उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराह का0 आनन्द यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़